पत्रांक–02/भवन (नि0)–02/2024–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
(ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–01, दिनांक–

विषयः– **श्रम संसाधन विभाग (नियोजन पक्ष) के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीमन्तर्गत "संयुक्त श्रम भवन" सीवान (G+3) का निर्माण हेतु ₹5,46,92,000 (रूपये पाँच करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संयुक्त श्रम भवन निर्माण स्कीम अंतर्गत संयुक्त श्रम भवन, सीवान के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक-SE-AP-3-12(5-90)41/2016-10824(भ) अनु दिनांक–30.12.2024 द्वारा ₹5,46,92,000 (रूपये पाँच करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार) मात्र की लागत पर प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया है। राज्य स्कीम अंतर्गत संयुक्त श्रम भवन का निर्माण (सामान्य) हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹39,00,00,000 (रूपये उनचालीस करोड़) मात्र का बजट उपबंध स्वीकृत है। उक्त उपबंधित राशि अंतर्गत ₹5,46,92,000 (रूपये पाँच करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। भवन निर्माण स्कीम से संबंधित राशि का उपबंध भवन निर्माण विभाग के बजट शीर्ष में ही कर्णांकित है अतएव निर्माण स्कीम का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

2. इस राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0116–संयुक्त श्रम भवन का निर्माण, समूह शीर्ष राज्य स्कीम, माँग संख्या–03, विपत्र कोड–03.4059.01.051.0116 राज्य स्कीम के विषय शीर्ष "0116 53 01" मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित ₹39,00,00,000 (उनचालीस करोड़) मात्र से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगें।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सीवान से क़ी जाएगी।

5. राशि का व्यय बजट उपबंध के अंतर्गत सीमित रखा जायेगा।

6. इस कार्य हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

7. कार्य का मासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना को ससमय समर्पित किया जायेगा साथ ही संयुक्त श्रम भवन का निर्माण कार्य तीन वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

8. सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक–30.06.2025 को आयोजित स्थायी वित्त समिति की बैठक में स्कीम स्वीकृति संबंधी अनुशंसा संचिका सं0–02/भवन (नि0)–02/2024 के पृ0–54/प0 पर प्राप्त है।

9. उक्त में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–02/भवन (नि0)–02/2024 के पृ0–22/टि0 पर प्राप्त है।

कृ0पृ0उ0

10. उक्त में विभागीय सचिव की सहमति संचिका सं0–02/भवन (नि0)–02/2024 के पृ0–....23/टि0 पर प्राप्त है।

11. उक्त में माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग की सहमति संचिका सं0–02/भवन (नि0)–02/2024 के पृ0–...23..../टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक–02/भवन (नि0)–02/2024– पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना, के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक–02/भवन (नि0)–02/2024–870 पटना–01, दिनांक–08/9/2025

प्रतिलिपि–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना के सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के सचिव/जिला पदाधिकारी, सीवान/कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, सीवान/कोषागार पदाधिकारी, सीवान/उप निदेशक (नियोजन), सारण प्रमण्डल, छपरा/श्रम अधीक्षक, सीवान/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

4.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

D:\YOJNA WORK\RANDHIR SIR\LETTER.DOCX (342)